

श्री सुभाष चण्डिका
22/8/22 को पेश है।

उपखण्ड अधिकारी
कोटपूतली (जयपुर)

22-8-22

अधिवक्ता उभय पक्ष उपस्थित।
अभिभाषक संघ ने कोर्ट कार्य स्थगित
रखा है। पीठासीन अधिकारी अन्य
कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली
दिनांक 23.8.22 को पेश है।

[Handwritten signature]

23/8/22

अधिवक्ता श्री सुभाष चण्डिका
द्वारा दायी 42-442 दि. अधिवक्ता
दादी को सुभाष चण्डिका द्वारा
दिए गये दिनांक 23/8/22 को पेश
की गई थी। अतः अधिवक्ता
द्वारा दायी 09 R 5 CPC के अन्तर्गत
दादी के दावे 09 R 3 CPC के
अन्तर्गत दायी रखी जा रही है।
पत्रावली दिनांक 23/8/22 को पेश
करने के लिए है।

उपखण्ड अधिकारी
कोटपूतली (जयपुर)